ऋणदाता के तौर पर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

और

ऋणप्राप्तकर्ता के तौर पर

____

(एजेंसी का नाम)

के बीच

ऋण करार

परियोजना के लिए__________________________

दिनांक_________________

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

कोर-IV बी, प्रथम तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 91-11-24642284, फैक्स: 91-11-24642163

(सीधे राज्य सरकार को ऋण की दशा में)

ऋण करार

यह करार__________________ स्थान पर 2016 के ____________ दिवस पर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उप धारा (I) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, जिसका कार्यालय प्रथम तल, कोर 4 बी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है (इसके पश्चात "एन.सी.आर.पी.बी" अथवा बोर्ड कहलाएगा जिसमें उसके उत्तराधिकारी अथवा समनुदेशिती शामिल होंगे बशर्ते वह उसके अर्थ के संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो) के प्रथम पक्ष:

और

अपने राज्यपाल के माध्यम से _____________ सरकार, जिसका मुख्यालय ______________ में है (इसके पश्चात ऋण प्राप्तकर्ता कहलाएगा जिसमें उसके उत्तराधिकारी अथवा समनुदेशिती शामिल होंगे बशर्ते वह उसके आशय के विरुद्ध नहीं हो) के द्वितीय पक्ष के बीच संपन्न किया जा रहा है|

जबकि

ऋणप्राप्तकर्ता ने बोर्ड को यह अभ्यवेदन दिया है कि चूंकि ऋणप्राप्तकर्ता का गठन आम जन उपयोगिता के संवर्धन के उद्देश्य से ___________________________ के तहत किया गया था

अत: उसे अपने कथित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है|

ऋणप्राप्तकर्ता ने ______________________________ परियोजना **(इसके पश्चात 'परियोजना' कहलाएगी) तथा उसके क्रियान्वयन के लिए, जिसके ब्यौरे परिशिष्ट-I में संलग्न हैं और जो मौजूदा करार का अंग हैं**, एन.सी.आर.पी.बी से मियादी ऋण के तौर पर ₹_____________ लाख (_________________________ रुपये केवल) की वित्तीय सहायता मांगी है|

ऋणप्राप्तकर्ता के उपर्युक्त अनुरोध के प्रत्युत्तर स्वरूप बोर्ड ने उपर्युक्त प्रयोजन/प्रयोजनों के लिए ₹__________ **लाख (_________________________ रुपये केवल)** के मियादी ऋण की संस्वीकृति प्रदान करने की सहमति प्रदान की है और संस्वीकृति पत्र (जिसकी एक प्रति परिशिष्ट-II में संलग्न है) में निहित निबंधन और शर्तों पर दिनांक __________ के अपने संस्वीकृति पत्र सं. ___________________________ के माध्यम से ऋणप्राप्तकर्ता को मियादी ऋण की संस्वीकृति व्यक्त की है| उक्त पत्र और परिशिष्ट-II में उक्त निबंधन और शर्तों को इसके पश्चात निर्धारित निबंधन और शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा और दोनों साथ-साथ मौजूदा करार के अंग होंगे|

ऋणप्राप्तकर्ता के राज्य सरकार का विभाग होने की स्थिति में ऋणप्राप्तकर्ता संबंधित सरकार के वित्त सचिव द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विभाग के सचिव से ऐसी शपथ प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान करता है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि ऋणवापसी के लिए अपेक्षित अवधि हेतु राज्य के वार्षिक बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं|

ऋणदाता ने दिनांक ___________ के संस्वीकृति पत्र सं. _________________ में निहित निबंधन और शर्तों पर किश्तों में मियादी ऋण की अदायगी करना स्वीकार किया है|

अब यह करार निम्नलिखित का साक्षी हो:

1. एन.सी.आर.पी.बी ऋण प्राप्तकर्ता को ₹___________ (_______________________ ___________ रूपये केवल) को सावधि ऋण (इसके पश्चात 'ऋण' कहलायेगा) अग्रिम एवं

उधार देगा, जो कि _________ वर्ष की अवधि में ब्याज और अन्य प्रभारों सहित _____ किश्तों में चुकाया जाना है | यह ऋण दिनांक ____________ के संस्वीकृति पत्र सं. _____________ में निर्धारित निबंधन और शर्तों, जो इसके पश्चात परिशिष्ट-II कहलाएंगी और इस करार में यथानिर्धारित निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगा और दोनों ऋणप्राप्तकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगी|

2. एन.सी.आर.पी.बी ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजना की प्रगति से समुचित रूप से संतुष्ट होने पर तथा और विशिष्ट रूप से संस्वीकृति पत्र में यथानिर्धारित शर्तों पर किश्तों में मियादी ऋण का संवितरण करेगा|

3. ऋणप्राप्तकर्ता के राज्य सरकार का विभाग होने की स्थिति में ऋणप्राप्तकर्ता संबंधित सरकार के वित्त सचिव द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विभाग के सचिव से ऐसी शपथ प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान करता है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि ऋणवापसी के लिए अपेक्षित अवधि हेतु राज्य के वार्षिक बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं| (परिशिष्ट-III)

4. ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड की संतुष्टि तक अपनी संपत्तियों का अच्छा विपणीय टाइटल तैयार करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक अथवा अपर्क्षित इस प्रकार की सभी औपचारिकताओं का अनुपालन करेगा|

5. ऋणप्राप्तकर्ता यह शपथ लेता है कि इस समझौते ज्ञापन के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय बोर्ड का यह मत होता है कि ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति ऋण की बकाया राशि की तुलना में अपर्याप्त है तो ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड द्वारा यथास्वीकार्य अतिरिक्त प्रतिभूति बोर्ड को प्रदान करेगा|

6. ऋणप्राप्तकर्ता ऋणवापसी अनुसूची के अनुसार संस्वीकृति पत्र की निबंधन और शर्तों के अनुसार ब्याज, दण्ड राशि और अन्य प्रभारों के साथ ऋण वापसी करेगा| ऋणप्राप्तकर्ता मूल राशि, ब्याज, दाण्डिक ब्याज और अन्य प्रभारों के सभी भुगतान एन.सी.आर.पी.बी को उसके नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में करेगा|

7. ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड द्वारा इसमें निहित किसी निबंधन और शर्त के संबंध में और/अथवा प्रवर्तन में उक्त ऋण प्रदान करने हेतु स्वीकृति व्यक्त करने के संबंध में और/अथवा प्रासंगिक

सभी लागतों (यथा न्यायवादी और मुवक्किल के बीच की लागतों सहित), स्टैम्प ड्यूटी, यदि कोई हो, प्रभार और व्यय जिनका बोर्ड द्वारा वहन किया गया हो अथवा किया जाना हो, का भुगतान भी बोर्ड को करेगा|

8. बोर्ड द्वारा जारी चेकों के संबंध में वसूली प्रभारों का भुगतान, यदि कोई हों, ऋणप्राप्तकर्ता करेगा चाहे अदाकर्ता बैंक कहीं भी अवस्थित हो और बोर्ड के लिए ब्याज का परिकलन इस प्रकार के चेकों की तारीख से होगा| जहां तक ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा किए जाने वाले भुगतान का संबंध है, उसका भुगतान उचित समय में प्रथम तल, कोर IV बी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित बोर्ड के कार्यालय में किया जोगा और ऋणप्राप्तकर्ता ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि प्रश्नगत राशि बोर्ड को नई दिल्ली में संबंधित भुगतानों की नियत तारीख पर मिल सके|

9. ऋणप्राप्तकर्ता का एन.सी.आर.पी.बी के प्रति अभ्यावेदन और आश्वासन है कि जिस मियादी ऋण का आवेदन किया गया है और जिसे एन.सी.आर.पी.बी द्वारा ऋणप्राप्तकर्ता को प्रदान किया जा रहा है, वह ऋणप्राप्तकर्ता की ऋणप्राप्ति सीमा के भीतर है और उस पर लागू नियमों और उप-नियमों के अनुसार है और इस प्रकार की ऋणप्राप्ति के संबंध में ऋणप्राप्तकर्ता के कार्य और आचरण का विनियमन करने वाले नियमों और उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताओं का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया गया है|

10. किसी भी कारणवश एन.सी.आर.पी.बी के पक्ष में प्रभारित प्रतिभूति के विलोपन के परिणामस्वरूप संभावित वित्तीय हानियों से एन.सी.आर.पी.बी को सुरक्षित करने के लिए ऋणप्राप्तकर्ता विलोपन और/अथवा अपर्याप्तता के संबंध में सूचित करेगा और उपर्युक्त कारणों से उत्पन्न होने वाली इस प्रकार की संभावित वित्तीय हानियों से एन.सी.आर.पी.बी के हितों की सुरक्षा हेतु एन.सी.आर.पी.बी की संतुष्टि पर इस प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिस्थापित अथवा प्रदान करेगा|

11. ऋणप्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेता है कि उक्त अवसंरचना परियोजना विधिवत निष्पादित की जाएगी और उक्त परियोजना में परिकल्पत समयानुसूची के अनुसार और विधि से उक्त परियोजना के कार्य को पूरा किया जाएगा| ऋणप्राप्तकर्ता यह शपथ भी लेता है कि वह उत्कृष्ट तकनीकी, इंजीनियरी, वित्तीय और प्रबंधकीय मानकों के अनुसार विवेकशीलता और दक्षता के साथ उक्त परियोजना का निष्पादन करेगा|

12. **इस ऋण से वित्तपोषित की जाने वाली वस्तुओं के खरीद हेतु _______________ _______________________________ के खरीद दिशा निर्देशों का अनुपालन होगा|**

13. ऋणप्राप्तकर्ता उक्त परियोजना के संबंध में प्राप्तियों और व्यय का पृथक खाता रखेगा| अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार केवल पात्र व्यय, _______________ द्वारा यथा अनुमोदित अनुबंधों, निविदा प्रलेखों, संस्वीकृत पत्रों इत्यादि को परियोजना लेखे के विशिष्ट शीर्षों के समक्ष लेखांकित किया जाना चाहिए| ऋणप्राप्तकर्ता लेखापरीक्षा और सत्यापन प्रयोजनों के लिए सहायक प्रलेखों का रखरखाव करेगा और अन्य सभी बकाया राशियों सहित ऋण की पूरी तरह वापसी तक प्रत्येक वर्ष उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, साथ ही लेखापरीक्षित लेखों की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक बजट तथा समय-समय पर उसके कार्यकरण की आवधिक विवरणियां और बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित ऋण राशि की उपयोगिता विवरणियां तथा प्रगति रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा| ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड की लिखित पूर्व अनुमति के बिना ऋण राशि का निवेश किसी प्रतिष्ठान में जमा, ऋण, शेयर पूंजी अथवा अन्यथा द्वारा नहीं करेगा| ऋणप्राप्तकर्ता यद्यपि ऋण राशि के किसी भी भाग को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक में जमा करा सकता है|

14. ऋणप्राप्तकर्ता निरीक्षण के लिए बोर्ड, _______________________ और/अथवा उसके नामिति/नामितियों को ऋणप्राप्तकर्ता के किसी नियम, उप-नियम अथवा नियमों के अंतर्गत और उपर्युक्त खण्ड-13 के उपबंधों के तहत उसके द्वारा उल्लिखित और/अथवा अनुरक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी बही-खाते और अन्य बहियां और प्रलेख उपलब्ध कराएगा और इस प्रकार के निरीक्षणों के प्रयोजनार्थ बोर्ड और/अथवा नामिति/नामितियों को सारी सुविधाएं प्रदान करेगा और बोर्ड द्वारा यथा-अपेक्षित स्पष्टीकरण देगा अथवा उसकी व्याख्या करेगा| बोर्ड और/अथवा उसके नामिति/नामितियों को उक्त परियोजना के सभी स्थलों और उससे संबंधित सभी बही खातों, रिकार्डों और प्रलेखों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा| ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित परियोजना और उसकी स्वयं की गतिविधियों से संबंधित सूचना के प्रसार, ऋण राशि के समुपयोग, रिकार्डों के अनुरक्षण, मितव्ययता उपायों, कार्य के मानकों और विनिर्देशनों से संबंधित सभी अनुदेशों अथवा सिफारिशों का अनुपालन करने और उन्हें कार्यान्वित करने की शपथ लेता है| बोर्ड अपने द्वारा और/अथवा अपने किसी नामिति/नामितियों द्वारा इस प्रकार के स्थलों/कार्यों, बही खातों इत्यादि

के निरीक्षण के संबंध में हुए सभी व्ययों की पूर्ण वसूली ऋणप्राप्तकर्ता से करने का अधिकार सुरक्षित रखता है|

15. ऋणप्राप्तकर्ता इस करार के लंबित रहने के दौरान बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित सभी प्रलेखों, दस्तावेज़ों, प्राप्तियों और अन्य लिखित विलेखों के निष्पादन, हस्ताक्षर, मुहर लगाने और सौंपने की सहमति व्यक्त करता है और शपथ लेता है ताकि इन विलेखों के परिप्रेक्ष्य में ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा नियत और देय अथवा नियत और देय होने वाली राशि पूर्णतः और प्रभावी रूप से सुरक्षित की जा सके|

16. ऋणप्राप्तकर्ता उक्त परियोजना को क्रियान्वित करेगा और उसमें बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित इस प्रकार के सभी संशोधनों को मानेगा और उनका अनुपालन करेगा|

17. इस करार के तहत बोर्ड द्वारा अधिकारों, शक्तियों अथवा उपायों का प्रयोग करने में चूक अथवा निष्पादन में किसी बिलम्ब को और बोर्ड द्वारा प्रदत्त दर्शायी गई अवधि में कोई छूट, समंजन, सहमति, समझौता, निर्मुक्ति अथवा दण्डमोचन को इसके अंतर्गत बोर्ड के अधिकारों, शक्तियों अथवा उपायों से छूट के तौर पर नहीं माना जाएगा|

18. बोर्ड अपने अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति निष्पक्षता रखते हुए ऋण वापसी की नियत तारीख से पूर्व किसी भी समय ऋण वापस लेने का पात्र होगा यदि ऋणप्राप्तकर्ता इस करार के तहत अपने दायित्व पूरे करने में असफल होता है और उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करता है|

19. ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा चूक होने पर अथवा इन विलेखों के किसी निबंधन और शर्त का उल्लंघन होने पर ऋणप्राप्तकर्ता करार के लिए परक्रामण और करार के संबंध में एन.सी.आर.पी.बी द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा|

20. ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा एन.सी.आर.पी.बी की लिखित पूर्व-अनुमति के बिना इसके पश्चात न तो यह करार, न ही अधिकार, बाध्यताएं सौंपी जाएंगी|

21. इस करार के उल्लंघन पर एन.सी.आर.पी.बी द्वारा दी गई कोई छूट तत्पश्चात उसी अथवा किसी अन्य उपबंध में किसी उल्लंघन पर छूट के तौर पर नहीं मानी जाएगी|

22. ऋणप्राप्तकर्ता यह शपथ लेता है कि वह ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा किसी भूल या चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी लागतों और परिणामों के विरुद्ध एन.सी.आर.पी.बी की क्षतिपूर्ति करेगा, उसे सुरक्षित, प्रतिरक्षित और हानिरहित रखेगा तथा क्षति की भरपाई करेगा|

23. इस करार को नई दिल्ली में निष्पादित हुआ माना जाएगा और बोर्ड द्वारा ऋणप्राप्तकर्ता को ऋण की अग्रिम राशि नई दिल्ली में प्रदान की जाएगी| इस करार से उत्पन्न होने वाले किसी मुकदमें अथवा मामले पर सुनवाई का न्यायाधिकार केवल दिल्ली में स्थित सिविल न्यायालयों को होगा|

जिसके साक्ष्य में दोनों पक्षकार निम्नांकित महीने, वर्ष और तारीख पर इस करार पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और इस करार के प्रभावी होने की तारीख निम्न उल्लिखित अंतिम तारीख होगी|

____ (___________) के लिए और

उनकी ओर से

____

द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद
और (ऋणप्राप्तकर्ता एजेंसी)
की साफ मुहर निम्न की
उपस्थिति में लगाई जाती है|

1. श्री _______________

2. श्री _______________

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
नई दिल्ली के लिए और उनकी ओर से

____

____

द्वारा हस्ताक्षरित

(राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को ऋण की दशा में)

ऋण करार

यह करार__________________ स्थान पर वर्ष _______ के _____________ दिवस पर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उप धारा (I) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, जिसका कार्यालय प्रथम तल, कोर 4 बी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है (इसके पश्चात "एन.सी.आर.पी.बी" अथवा बोर्ड कहलाएगा जिसमें उसके उत्तराधिकारी अथवा समनुदेशिती शामिल होंगे बशर्ते वह उसके अर्थ के संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो) के प्रथम पक्ष:

और

अपने राज्यपाल के माध्यम से _________ राज्य सरकार/________के द्वारा/तहत गठित/अधिनियमित/निगमित एक ________ निकाय कार्पोरेट, जिसका पंजीकृत कार्यालय _________ में स्थित हो, के अध्यक्ष/सीईओ (इसके पश्चात ऋणप्राप्तकर्ता कहलाएगा जिसमें उसके उत्तराधिकारी अथवा समनुदेशिती शामिल होंगे बशर्ते वह उसके आशय के विरुद्ध नहीं हो) के द्वितीय पक्ष के बीच संपन्न किया जा रहा है|

जबकि

ऋणप्राप्तकर्ता ने बोर्ड को यह अभ्यवेदन दिया है कि चूंकि ऋणप्राप्तकर्ता का गठन [ ] के उद्देश्य से [ ] किया गया था अत: उसे अपने कथित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है|

ऋणप्राप्तकर्ता ने ______________________________ (इसके पश्चात 'परियोजना' कहलाएगी) के क्रियान्वयन के लिए, जिसके ब्यौरे परिशिष्ट-_______ में संलग्न हैं और जो मौजूदा करार का अंग हैं, एन.सी.आर.पी.बी से मियादी ऋण के तौर पर ₹_________ लाख (_______________ ____________________________) की वित्तीय सहायता मांगी है|

ऋणप्राप्तकर्ता के उपर्युक्त अनुरोध के प्रत्युत्तर स्वरूप बोर्ड ने उपर्युक्त प्रयोजन/प्रयोजनों के लिए ₹_________ लाख (_______________ ____________________________) के मियादी ऋण की संस्वीकृति प्रदान करने की सहमति प्रदान की है और संस्वीकृति पत्र (जिसकी एक प्रति परिशिष्ट-____ में संलग्न है) में निहित निबंधन और शर्तों पर दिनांक _________ के अपने संस्वीकृति पत्र सं. _______________________ के माध्यम से ऋणप्राप्तकर्ता को मियादी ऋण की संस्वीकृति व्यक्त की है| उक्त पत्र और परिशिष्ट-II में उक्त निबंधन और शर्तों को इसके पश्चात निर्धारित निबंधन और शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा और दोनों साथ-साथ मौजूदा करार के अंग होंगे|

ऋणप्राप्तकर्ता ने वर्ष _______ के _______ दिवस पर ________ शीर्षक पर आयोजित बोर्ड की अपनी बैठक में वर्ष _______ के _______ दिवस के अपने संकल्प के माध्यम से उक्त निबंधन और शर्तों पर उक्त ऋण स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है|

दिनांक ________ के संस्वीकृति पत्र में निहित निबंधन और शर्तों के अनुसार ऋणप्राप्तकर्ता ऋण राशि, ब्याज, दाण्डिक ब्याज और अन्य प्रभारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से पर्याप्त बिना शर्त की और अप्रतिसंहरणीय गारंटी द्वारा मियादी ऋण के मूल धन, ब्याज और अन्य प्रभारों को सुरक्षित करने की सहमति व्यक्त करता है और शपथ लेता है|

ऋणप्राप्तकर्ता ने दिनांक _________ के संस्वीकृति पत्र सं. ________________ में निहित निबंधन और शर्तों पर किश्तों में मियादी ऋण की अदायगी करना स्वीकार किया है|

अब यह करार निम्नलिखित का साक्षी हो:

1. एन.सी.आर.पी.बी ______ वर्ष की अवधि के लिए ब्याज और अन्य प्रभारों सहित ₹_________लाख (_______________ ___________________________)का मियादी ऋण (इसके पश्चात "ऋण" कहलाएगा) ऋणप्राप्तकर्ता को ऋण का अग्रिम प्रदान करेगा| यह ऋण दिनांक ________ के संस्वीकृति पत्र सं.__________ में निर्धारित निबंधन और शर्तों, जो इसके पश्चात परिशिष्ट-II कहलाएंगी और इस करार में यथा निर्धारित निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगा और दोनों ऋणप्राप्तकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगी|

2. एन.सी.आर.पी.बी ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजना की प्रगति से समुचित रूप से संतुष्ट होने पर तथा और विशिष्ट रूप से संस्वीकृति पत्र में यथानिर्धारित शर्तों पर किश्तों में मियादी ऋण का संवितरण करेगा|

3. ऋणप्राप्तकर्ता ऋण राशि, ब्याज, दाण्डिक ब्याज और अन्य प्रभारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से पर्याप्त बिना शर्त की और अप्रतिसंहरणीय गारंटी द्वारा और/अथवा ऋणप्राप्तकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों पर समरूप प्रभारों सहित अथवा उनके बिना (जो लागू न हो उसे काट दें) इंग्लिश/साम्पिक बंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा और/अथवा अधिष्ठापित चल मशीनरी, उपस्करों, मशीनरी के अतिरिक्त पुर्ज़ों, औज़ारों, सामग्रियों और सहायक सामग्रियों सहित सभी भारमुक्त चल संपत्तियों के उपप्राधीयन के माध्यम से अनन्य प्रभार द्वारा मियादी ऋण के मूल धन, ब्याज और अन्य प्रभारों को सुरक्षित करने की सहमति व्यक्त करता है और शपथ लेता है|

4. ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड की संतुष्टि तक अपनी संपत्तियों का अच्छा विपणीय टाइटल तैयार करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक अथवा अपर्क्षित इस प्रकार की सभी औपचारिकताओं का अनुपालन करेगा|

5. ऋणप्राप्तकर्ता यह शपथ लेता है कि इस समझौते ज्ञापन के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय बोर्ड का यह मत होता है कि ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति ऋण

की बकाया राशि की तुलना में अपर्याप्त है तो ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड द्वारा यथास्वीकार्य अतिरिक्त प्रतिभूति बोर्ड को प्रदान करेगा|

6. ऋणप्राप्तकर्ता एन.सी.आर.पी.बी को संतुष्ट करते हुए ऋण के लंबित रहने की संपूर्ण अवधि के दौरान निलंब खाता खोलेगा|

7. ऋणप्राप्तकर्ता परिशिष्ट ________ पर स्थित ऋणवापसी अनुसूची के अनुसार संस्वीकृति पत्र की निबंधन और शर्तों के अनुसार ब्याज, दण्ड राशि और अन्य प्रभारों के साथ ऋण वापसी करेगा| ऋणप्राप्तकर्ता मूलराशि, ब्याज, दाण्डिक ब्याज और अन्य प्रभारों के सभी भुगतान एन.सी.आर.पी.बी को उसके नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में करेगा|

8. ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड द्वारा इसमें निहित किसी निबंधन और शर्त के संबंध में और/अथवा प्रवर्तन में उक्तत ऋण प्रदान करने हेतु स्वीकृति व्यक्त करने के संबंध में और/अथवा प्रासंगिक सभी लागतों (यथा न्यायवादी और मुवक्किल के बीच की लागतों सहित), स्टैम्प ड्यूटी, यदि कोई हो, प्रभार और व्यय जिनका बोर्ड द्वारा वहन किया गया हो अथवा किया जाना हो, का भुगतान भी बोर्ड को करेगा|

9. बोर्ड द्वारा जारी चेकों के संबंध में वसूली प्रभारों का भुगतान, यदि कोई हों, ऋणप्राप्तकर्ता करेगा चाहे अदाकर्ता बैंक कहीं भी अवस्थित हो और बोर्ड के लिए ब्याज का परिकलन इस प्रकार के चेकों की तारीख से होगा| जहां तक ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा किए जाने वाले भुगतान का संबंध है, उसका भुगतान उचित समय में प्रथम तल, कोर IV बी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित बोर्ड के कार्यालय में किया जोगा और ऋणप्राप्तकर्ता ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि प्रश्नगत राशि बोर्ड को नई दिल्ली में संबंधित भुगतानों की नियत तारीख पर मिल सके|

10. ऋणप्राप्तकर्ता का एन.सी.आर.पी.बी के प्रति अभ्यावेदन और आश्वासन है कि जिस मियादी ऋण का आवेदन किया गया है और जिसे एन.सी.आर.पी.बी द्वारा ऋणप्राप्तकर्ता को प्रदान किया जा रहा है, वह ऋणप्राप्तकर्ता की ऋणप्राप्ति सीमा के भीतर है और उस पर लागू नियमों और उप-नियमों के अनुसार है और इस प्रकार की ऋणप्राप्ति के संबंध में ऋणप्राप्तकर्ता के कार्य और आचरण का विनियमन करने वाले नियमों और उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताओं का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया गया है|

11. **इस ऋण से वित्तपोषित की जाने वाली वस्तुओं के प्रापण हेतु ____________________ ________________________ के प्रापण दिशा निर्देशों का अनुपालन होगा|**

12. किसी भी कारणवश एन.सी.आर.पी.बी के पक्ष में प्रभारित प्रतिभूति के विलोपन के परिणामस्वरूप संभावित वित्तीय हानियों से एन.सी.आर.पी.बी को सुरक्षित करने के लिए ऋणप्राप्तकर्ता विलोपन और/अथवा अपर्याप्तता के संबंध में सूचित करेगा और उपर्युक्त कारणों से उत्पन्न होने वाली इस प्रकार की संभावित वित्तीय हानियों से एन.सी.आर.पी.बी के हितों की सुरक्षा हेतु एन.सी.आर.पी.बी की संतुष्टि पर इस प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिस्थापित अथवा प्रदान करेगा|

13. ऋणप्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेता है कि उक्त अवसंरचना परियोजना विधिवत निष्पादित की जाएगी और उक्त परियोजना में परिकल्पत समयानुसूची के अनुसार और विधि से उक्त परियोजना के कार्य को पूरा किया जाएगा| ऋणप्राप्तकर्ता यह शपथ भी लेता है कि वह उत्कृष्ट तकनीकी, इंजीनियरी और वित्तीय मानकों के अनुसार विवेकशीलता और दक्षता के साथ उक्त परियोजना का निष्पादन करेगा|

14. ऋणप्राप्तकर्ता उक्त परियोजना के संबंध में प्राप्तियों और व्यय का पृथक खाता रखेगा और सहायक प्रलेखों का रखरखाव करेगा और अन्य सभी बकाया राशियों सहित ऋण की पूरी तरह वापसी तक प्रत्येक वर्ष उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, साथ ही लेखापरीक्षित लेखों की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक बजट तथा समय-समय पर उसके कार्यकरण की आवधिक विवरणियां और बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित ऋण राशि की उपयोगिता विवरणियां तथा प्रगति रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा| ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड की लिखित पूर्व अनुमति के बिना ऋण राशि का निवेश किसी प्रतिष्ठान में जमा, ऋण, शेयर पूंजी अथवा अन्यथा द्वारा नहीं करेगा| ऋणप्राप्तकर्ता यद्यपि ऋण राशि के किसी भी भाग को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक में जमा करा सकता है|

15. ऋणप्राप्तकर्ता निरीक्षण के लिए बोर्ड और/अथवा उसके नामिति/नामितियों को ऋणप्राप्तकर्ता के किसी नियम, उप-नियम अथवा नियमों के अंतर्गत और उपर्युक्त खण्ड-10 के उपबंधों के तहत उसके द्वारा उल्लिखित और/अथवा अनुरक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी बही-खाते और अन्य बहियां और प्रलेख उपलब्ध कराएगा और इस प्रकार के निरीक्षणों के

प्रयोजनार्थ बोर्ड और/अथवा नामिति/नामितियों को सारी सुविधाएं प्रदान करेगा और बोर्ड द्वारा यथा-अपेक्षित स्पष्टीकरण देगा अथवा उसकी व्याख्या करेगा| बोर्ड और/अथवा उसके नामिति/नामितियों को उक्त परियोजना के सभी स्थलों और उससे संबंधित सभी बही खातों, रिकार्डों और प्रलेखों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा| ऋणप्राप्तकर्ता बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित परियोजना और उसकी स्वयं की गतिविधियों से संबंधित सूचना के प्रसार, ऋण राशि के समुपयोग, रिकार्डों के अनुरक्षण, मितव्ययता उपायों, कार्य के मानकों और विनिर्देशनों से संबंधित सभी अनुदेशों अथवा सिफारिशों का अनुपालन करने और उन्हें कार्यान्वित करने की शपथ लेता है| बोर्ड अपने द्वारा और/अथवा अपने किसी नामिति/नामितियों द्वारा इस प्रकार के स्थलों/कार्यों, बही खातों इत्यादि के निरीक्षण के संबंध में हुए सभी व्ययों की पूर्ण वसूली ऋणप्राप्तकर्ता से करने का अधिकार सुरक्षित रखता है|

16. ऋणप्राप्तकर्ता इस करार के लंबित रहने के दौरान बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित सभी प्रलेखों, दस्तावेज़ों, प्राप्तियों और अन्य लिखित विलेखों के निष्पादन, हस्ताक्षर, मुहर लगाने और सौंपने की सहमति व्यक्त करता है और शपथ लेता है ताकि इन विलेखों के परिप्रेक्ष्य में ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा नियत और देय अथवा नियत और देय होने वाली राशि पूर्णतः और प्रभावी रूप से सुरक्षित की जा सके|

17. ऋणप्राप्तकर्ता उक्त परियोजना को क्रियान्वित करेगा और उसमें बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित इस प्रकार के सभी संशोधनों को मानेगा और उनका अनुपालन करेगा|

18. इस करार के तहत बोर्ड द्वारा अधिकारों, शक्तियों अथवा उपायों का प्रयोग करने में चूक अथवा निष्पादन में किसी बिलम्ब को और बोर्ड द्वारा प्रदत्त दर्शायी गई अवधि में कोई छूट, समंजन, सहमति, समझौता, निर्मुक्ति अथवा दण्डमोचन को इसके अंतर्गत बोर्ड के अधिकारों, शक्तियों अथवा उपायों से छूट के तौर पर नहीं माना जाएगा|

19. बोर्ड अपने अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति निष्पक्षता रखते हुए ऋण वापसी की नियत तारीख से पूर्व किसी भी समय ऋण वापस लेने का पात्र होगा यदि ऋणप्राप्तकर्ता इस करार के तहत अपने दायित्व पूरे करने में असफल होता है और उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करता है|

20. ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा चूक होने पर अथवा इन विलेखों के किसी निबंधन और शर्त का उल्लंघन होने पर ऋणप्राप्तकर्ता करार के लिए परक्रामण और करार के संबंध में एन.सी.आर.पी.बी द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा|

21. ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा एन.सी.आर.पी.बी की लिखित पूर्व-अनुमति के बिना इसके पश्चात न तो यह करार, न ही अधिकार, बाध्यताएं सौंपी जाएंगी|

22. इस करार के उल्लंघन पर एन.सी.आर.पी.बी द्वारा दी गई कोई छूट तत्पश्चात उसी अथवा किसी अन्य उपबंध में किसी उल्लंघन पर छूट के तौर पर नहीं मानी जाएगी|

23. ऋणप्राप्तकर्ता यह शपथ लेता है कि वह ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा किसी भूल या चूक के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी लागतों और परिणामों के विरुद्ध एन.सी.आर.पी.बी की क्षतिपूर्ति करेगा, उसे सुरक्षित, प्रतिरक्षित और हानिरहित रखेगा तथा क्षति की भरपाई करेगा|

24. इस करार को नई दिल्ली में निष्पादित हुआ माना जाएगा और बोर्ड द्वारा ऋणप्राप्तकर्ता को ऋण की अग्रिम राशि नई दिल्ली में प्रदान की जाएगी| इस करार से उत्पन्न होने वाले किसी मुकदमें अथवा मामले पर सुनवाई का न्यायाधिकार केवल दिल्ली में स्थित सिविल न्यायालयों को होगा|

जिसके साक्ष्य में दोनों पक्षकार निम्नांकित महीने, वर्ष और तारीख पर इस करार पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और इस करार के प्रभावी होने की तारीख निम्न उल्लिखित अंतिम तारीख होगी|

____ (___________) के लिए और

उनकी ओर से

____

द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद
और (ऋणप्राप्तकर्ता एजेंसी)
की साफ मुहर निम्न की
उपस्थिति में लगाई जाती है|

1. श्री ______________

2. श्री ______________

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
नई दिल्ली के लिए और उनकी ओर से

____

____